न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 15/2015/एलआर

वेणीराम पिता प्रथा गाडरी
निवासी रायपुरिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 30.03.2015 प्रकरण सं. 8/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 24.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने संवत् 2071 मे मौजा रायपुरिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ की बिलानाम आराजी नम्बर 323, 332 कुल किता 2 रकबा 0.02 है0 पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही कर बेदखल किया जावे व फसल को जप्त सरकार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुणा शास्ति आरोपित कर फसल को कब्जे सरकार लिये जाने का आदेश पारित दिया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का निर्णय एवं आदेश यथावत रखाये जाकर अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है।

2. यह कि विवादित आराजीयात अपीलान्ट के पैतृक कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 14, 19, 32, 35, 36, 37, 324, 330, 331, 1068, 1069, 1070, 1071, 1076, 1077, 1079, 1159 से लगी हई होकर छोटी पट्टी के रूप मे जिस पर अपीलान्ट ने बाडा बना रखा है, घासफुस डालने व कृषि औजार रखने के काम आता है। अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर मवेशी बांधता चआ आ रहा है ऐसी स्थिति मे पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत दी है जिसका आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय विचारण न्यायालय ने उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया व उसी आदेश को अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखाये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अपील अन्दर मियाद पेश है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30/03/2015 एवं 30/04/2014 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही है। क्योकि अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर जिरह का मौका नही दिया गया। इसके अलावा पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया कि जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्ट द्वारा बार–बार राजकीय भूमि पर नियमित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा हो साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्ट को विधिवत तामील के बिना विधि विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अतिकमी मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखल करने के अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिकमी के रूप मे 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस दलील दी गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटि नही की है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दलीलो पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 30/03/2015 अपास्त होने योग्य है। फलतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 8/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 30/03/2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्बन्धित पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़